



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 124703

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2956 वर्ष 2026

अरुण कुमार तिवारी उर्फ पप्पू पंडित

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : आशीष कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पुनरीक्षित सूची में मामला सुना गया। नोटिस तामील होने के बावजूद, अपीलकर्ता की ओर से इस अपील को आगे बढ़ाने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री आशीष कुमार सिंह और राज्य की ओर से एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14A(2) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई है। इसमें अपीलकर्ता ने हमीरपुर की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) न्यायालय द्वारा ज़मानत अर्ज़ी संख्या 213/2026 (अरुण कुमार तिवारी उर्फ पप्पू पंडित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में 26.02.2026 को पारित ज़मानत नामंजूरी के आदेश को रद्द करने और उक्त मामले में अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की है। यह मामला कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन, ज़िला हमीरपुर के मुकदमा अपराध संख्या 59/2024 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 323, 504, 506 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (द)/(ध), 3 (2) (व) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

4. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 13.03.2024 को रात लगभग 11:00 बजे, मौजूदा अपीलकर्ता कथित तौर पर संतोष कुमार के घर आया और उसे एक डेरे पर ले गया, जहाँ गाड़ी के किराए को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि अपीलकर्ता ने उसे भद्दी गालियाँ दीं और मारपीट की, और उसके बाद नामजद आरोपियों ने 3-4 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। सूचना मिलने पर, डायल-112 पुलिस मौके पर पहुँची और घायल को अस्पताल पहुँचाया। गंभीर चोटों के कारण उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा था।

5. अपील करने वाले के अधिवक्ता ने कहा कि एफ.आई.आर. में अपील करने वाले पर मारपीट की कोई खास भूमिका नहीं बताई गई है, और सभी आरोपियों पर एक जैसी भूमिका बताते हुए आम और सामान्य आरोप लगाए गए हैं। आगे यह भी कहा गया कि अपील करने वाले के पास से कोई

ऐसी चीज़ या हथियार नहीं मिला जिससे उस पर शक हो सके। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि भले ही घायल व्यक्ति को गंभीर चोट आई थी, लेकिन वह चोट शरीर के ऐसे हिस्से पर लगी थी जो जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है। यह भी बताया गया कि अपील करने वाले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जैसा कि ज़मानत अर्ज़ी के समर्थन में दाखिल हलफनामे के पैरा 18 में कहा गया है, और वह 09.02.2026 से जेल में बंद है।

6. इसके उलट, राज्य के अधिवक्ता ने अपील और ज़मानत की मांग का विरोध किया, लेकिन इस तथ्य को नकार नहीं सके।

7. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, चोट की रिपोर्ट से पता चलता है कि घायल व्यक्ति की नाक की हड्डी और उल्ना हड्डी के बीच के हिस्से में फ्रैक्चर हुआ है। साथ ही, अपील करने वाले व्यक्ति सहित किसी भी आरोपी की इसमें कोई खास भूमिका नहीं बताई गई है।

8. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, सबूतों की प्रकृति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना दिखाने वाले किसी ठोस सबूत की कमी को देखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, यह न्यायालय मानता है कि अपील करने वाले को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है।

9. अपील करने वाले - **अरुण कुमार तिवारी उर्फ पप्पू पंडित** - को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो ज़मानतें भरने पर उक्त मुकदमा अपराध संख्या वाले मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए। यह रिहाई न्याय के हित में लगाई गई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i) अपील करने वाला व्यक्ति अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही पीड़ित/शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाएगा या परेशान करेगा।

ii) अपील करने वाला व्यक्ति न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, हर तारीख पर न्यायालय में हाज़िर होगा और मुकदमे के निस्तारण में किसी भी तरह की देरी नहीं करेगा।

iii) अपील करने वाला व्यक्ति एक लिखित वचन (अंडरटेकिंग) देगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने (स्थगन) की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

iv) अपील करने वाला व्यक्ति ज़मानत की आज़ादी का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर अपील करने वाला व्यक्ति विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए धारा 84 बीएनएसएस/82 सीआर.पी.सी. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और अगर अपील करने वाला व्यक्ति ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ़ कानून के अनुसार, धारा 209 बीएनएस/174-ए आई.पी.सी. के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

v) अपील करने वाले व्यक्ति को विचारण न्यायालय के सामने तय तारीखों पर खुद मौजूद रहना होगा, जो इस प्रकार हैं: (1) मुकदमा की शुरुआत, (2) आरोप तय करना और (3) धारा 251 बीएनएसएस/313 सीआर.पी.सी. के तहत बयान दर्ज करना। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि अपील करने वाले व्यक्ति की गैर-मौजूदगी जानबूझकर है या बिना किसी ठोस वजह के है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसके खिलाफ़ कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है, और विचारण न्यायालय धारा 269 बीएनएस/229-ए भारतीय दंड संहिता के तहत उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकता है।

vi) विचारण न्यायालय अपील करने वाले की रिहाई के बाद विचारण को जल्द से जल्द पूरा करने की हर संभव कोशिश कर सकती है।

10. संबंधित न्यायालय ज़मानत देने वालों की पहचान, स्थिति और रिहायशी पते के सबूत की जांच करेगी और अगर ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो संबंधित न्यायालय ज़मानत रद्द करने और अपील करने वाले को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगी।

11. इस प्रकार, अपील सफल होती है और इसे मंज़ूर किया जाता है।

12. हमीरपुर में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट द्वारा 26.02.2026 को पारित विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

2 जून, 2026

अकबर.

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।